<u>मुन्तकिली प्रकरण सं0 60/2018</u> अनवानी रवि पुत्र महावीर जाति जाट निवासी घमूडवाली हाल निवासी 1028 वार्ड नम्बर 13, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> 1. खेतपाल पुत्र श्री नानूराम जाति जाट निवासी घमूड़वाली हाल सरस्वती नगर , य.आई.टी ऑफिस के सामने, श्रीगंगानगर, 2. कृष्णा देवी पुत्री नानूराम पत्नि बृजलाल जाति जाट निवासी हाल गोलूवाला निवादा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ, 3 इन्द्राज पुत्र नानूराम 4. कमला देवी पत्नि महावीर, 5. चन्दना पुत्री महावीर, 6. कॉर्पोरेशन बैंक, शाखा श्रीगंगानगर 7. राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>18.06.2018</u>

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए, उन्हें सुना गया। उनका कथन था कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लम्बित वाद संख्या 55/2018 अनवानी रवि बनाम खेतपाल में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण यह मुन्तकिली प्रार्थना इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था और अब चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण का निस्तारण कर दिया है इसिलए इस प्रार्थना में वे अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इसलिए इसी आधार पर उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने प्रार्थी के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लम्बित वाद संख्या 55/2018 अनवानी रवि बनाम खेतपाल में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना के कारण यह मुन्तकिली प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अब चूंकि प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है, इसलिए इसी आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर